प्रशासनिक कार्यकुशलता में पंचायती राज का योगदान

डॉ०किरण पूनियां
सह-आचार्य, राजनीतिक विज्ञान विभाग
श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा(राज०)

सार

पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और उसके योगदान की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक दृष्टिकोण में यह व्यवस्था, सूक्ष्म स्तर की योजना और विकास कार्यक्रमों के विस्तार और बेहतर कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करती है। यह प्रणाली स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करती है।

इस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यह लोगों को विकास की योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। इस प्रणाली को व्यापक रूप से समझने के लिए, हमें यह समझना होगा कि आजादी का मतलब भारत के लोगों की स्वतंत्रता से होना चाहिए न कि उन लोगों से जो आज उन पर शाशन कर रहे हैं। शासकों को उन लोगों की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए, जिन पर वे शासन करते हैं। इस प्रकार, शासकों को लोगों का सेवक बनना पड़ता है। उन्हें तैयार रहना चाहिए कि वे क्या करना चाहते हैं, साधारण वाक्यों में, स्वतंत्रता नीचे से शुरू होनी चाहिए।

पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्रता को नीचे से शुरू करने में अहम् योगदान देती है। इस प्रणाली के माध्यम से, प्रत्येक गाँव एक गणतंत्र होगा, और पंचायत जिसके पास पूरी शक्तियाँ होंगी, विकास की प्रक्रिया को और तेज किया जाना चाहिए। यह प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाने और बचाव के लिए अपने मामलों का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य शब्द : पंचायती राज, अनुच्छेद, सरकार

भूमिका:

पंचायत राज प्रणाली की भावना और महत्व ने भारत के संविधान की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में अपना स्थान पाया, जिसमें कहा गया हैरू राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें शक्तियों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करना होगा । यह वव्यवस्था सरकार की अपनी इकाइयों के रूप में कार्य करती है।

राष्ट्रीय राजनीतिक मुक्ति संघर्ष के दौरान, ग्राम पंचायत प्रणाली के पुनरुद्धार को एक विश्वास लेख के रूप में स्वीकार किया गया था। यह स्वतंत्रता-पूर्व दिनों की क्रांतिकारी भावना को ध्यान में रखते हुए किया गया था और केंद्र और राज्यों में नव-स्थापित सरकार के रूप में जल्द ही स्थानीय स्वशासन की शक्तिशाली इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों को स्थापित करने और बढ़ावा देने का काम किया गया था। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की एक नई पहल को दर्शाता है

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज संस्थान जमीनी स्तर पर लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनके बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए इस अवसर पर विभिन्न राज्यों में पंचायतों को कई पुरस्कार दिए जाते हैं।

भारत में एक या दूसरे रूप में पंचायतों की एक लंबी परंपरा रही है। पुराने दिनों में, गाँव के निवासी गाँव की समस्याओं पर चर्चा करने और हल करने के लिए गाँव के बुजुर्गों के नेतृत्व में एक साथ मिलते थे। इस प्रणाली ने सहभागी लोकतंत्र की भावना को प्रदर्शित किया। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की वकालत की और ग्रामीणों को कुछ शक्तियां सौंपने का तर्क दिया।

वर्ष 1993 में संसद द्वारा पारित 73 वां संवैधानिक संशोधन भारत में राजनीतिक शक्ति को विकेन्द्रीकृत करने में एक अग्रणी कदम था। इसके लिए भारतीय राज्यों को पंचायत राज संस्थाओं के निर्माण के लिए कानून बनाने की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप, राज्यों में नियमित रूप से कम या ज्यादा चुनाव कराने के बाद ग्राम पंचायतें का गठन हो जाता है, हालांकि एक या दो उदाहरण ऐसे पाए जा सकते हैं जहाँ चुनाव में देरी हुई है।

देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को गांवों में बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और स्थानीय आर्थिक विकास की योजना के लिए सौंपा गया है। पंचायतों की निर्णय प्रक्रिया ऐसी है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विकास कार्य योजनाओं पर चर्चा करती है जिसे ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) कहा जाता है और निर्वाचित प्रतिनिधि योजनाओं को निष्पादित करते हैं।

जीपीडीपी के गठन से सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में सुधार होता है। चूँकि गाँव के सभी पात्र मतदाता ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं, यह समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को शामिल करने और गाँव स्तर के शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक चौनल है जिसमें वे अपनी विकासात्मक आकांक्षाओं की वकालत कर सकते हैं।

यह बॉटम-अप दृष्टिकोण विभिन्न हितधारकों की महसूस की गई जरूरत को प्रतिबिंबित करने के लिए है। ग्राम सभा एक निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में सबसे नीचे है। यह प्रक्रिया ग्रामीण स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र

के अभ्यास को दर्शाती है जबकि राज्य और संघ स्तर पर शासन प्रणाली अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रकार है। पंचायत और ग्राम सभा के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच संबंध को कैबिनेट और विधानसभा के समान माना जाता है।

यह देखा गया है कि अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाने के दौरान गांधी जयंती जैसे विशेष अवसरों को छोड़कर अधिकांश ग्राम पंचायत ग्राम सभा में उपस्थिति अधिक नहीं होती है। यह स्व-शासन पर धीरे-धीरे बड़े सार्वजनिक हित पैदा करने का एक तरीका है। जाहिर है, भारत में अभी भी स्थानीय स्तर की विकास प्रक्रिया जारी है। हमें अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

गाँवों की सड़कों, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, तूफान के पानी की निकासी और सड़क-प्रकाश के संदर्भ में परिवर्तन के पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। जबकि एक दूसरे के साथ एक गांव की कनेक्टिविटी एक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से परे है, गांव के भीतर सड़कों का निर्माण और रखरखाव जीपी की जिम्मेदारी है। अब एक गाँव के भीतर कम से कम कुछ हिस्सों में कीचड़ को छुए बिना चल सकता है और ग्राम पंचायत पर दबाव है कि वे बाहर के हिस्सों में भी सड़कों का निर्माण करें।

यह ठीक वैसा ही है जैसा कि एक कार्यात्मक लोकतंत्र में होना चाहिए। सरपंच और जीपी के वार्ड सदस्यों जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों की संरचना में विभिन्न सामाजिक समूह शामिल हैं। सरकार के पास जीपी के प्रभावी कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण का प्रावधान है। प्रशिक्षण आमतौर पर राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों या जिला या ब्लॉक स्तर के स्थानीय निकाय कार्यालयों में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, बजट की तैयारी, परियोजना निष्पादन और लेखांकन से संबंधित मुद्दों पर होता है।

प्रशासनिक कार्यकुशलता में पंचायती राज का योगदान:

संवैधानिक सशक्तीकरण के बावजूद, स्थानीय निकायों को उन्हें सौंपी गई विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्या का सामना करना पड़ा। पीआरआई को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई तिमाहियों से एक सामान्य मांग थी। राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से किए गए स्थानांतरण अधिकांश राज्यों में अल्प थे।

चौदहवें वित्त आयोग ने इस पर ध्यान दिया और वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान में काफी वृद्धि की। प्रदान किए गए अनुदान का उपयोग महत्वपूर्ण बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को समर्थन और मजबूत करने के लिए किया जाता है। 15 वें वित्त आयोग ने ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में अनुदान में और वृद्धि की है।

ग्राम पंचायत को एफएफसी अनुदान की प्रभावशीलता को समझने के लिए, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली ने एक अध्ययन किया, जिसमें भारत के 16 राज्यों में फैले 20 जिलों में 120 ग्राम पंचायत का नमूना लिया

गया। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अध्ययन दल ने पाया कि नमूने में लगभग आधे जीपी का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है।

ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के सुनारिसिकुआन नाम के एक दूरदराज के गाँव में, महिला सदस्यों ने तीन-चौथाई निर्वाचित पदों पर कब्जा किया और वे एक ही क्षेत्र में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक सक्रिय थीं। इस गांव में, सरपंच पति 'संस्कृति की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री ने पंचायती राज दिवस में 2015 के अंत के लिए आह्वान किया।

एफएफसी अनुदान का समग्र प्रभाव उपरोक्त अध्ययन में मिलाया गया था। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन्हें दक्षता बढ़ाने और सेवाओं के प्रभावी वितरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के एफएफसी अनुदानों में से लगभग 80ः का उपयोग चयनित ग्राम पंचायत में किया गया था। सड़क निर्माण और पेयजल शीर्ष दो प्राथमिकता वाली गतिविधियाँ थीं।

अधिकांश ग्राम पंचायत चयनित नमूने में राजस्व के स्रोत को बढ़ाने के लिए अनिच्छुक पाए जाते हैं। हालांकि, कुछ जीपी दुकानों, हाउस टैक्स और स्वच्छ जल शुल्क को किराए पर देकर कर या गैर-कर राजस्व के रूप में ओएसआर उत्पन्न करने में सक्षम हैं।

ग्राम पंचायत के पास असम, केरल और पश्चिम बंगाल में राजस्व के अधिक विविध स्रोत हैं। लेकिन, अधिकांश निकायों को अनिच्छा से संभावित कर राजस्व इकट्ठा करने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा मन सेट और अनुनय की मात्रा में कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है।

जबकि विभिन्न विकास कार्यक्रमों का अभिसरण सरकार के लिए प्राथमिकता रहा है, यह ज्यादातर जीपी द्वारा किए गए कार्यक्रमों में इसकी अनुपस्थिति से प्रतिष्ठित है। जबकि दो अलग-अलग पैच में सड़कें फंडिंग के दो अलग-अलग स्रोतों का उपयोग करके बनाई जा रही हैं, कई स्रोतों से फंडिंग के साथ एक बड़ी गतिविधि का पता लगाना मुश्किल है।

गतिविधियों के अभिसरण की कमी के लिए विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न दिशा-निर्देशों का हवाला दिया गया था। अलग-अलग जवाबदेही अलग-अलग विभागों के लिए भी एक समस्या है और फंडिंग एजेंसियों के एक संघ के प्रति जवाबदेही का प्रावधान इसे दूर कर सकता है।

स्थानीय स्तर की पहल और भागीदारी के अभाव में, सभी ग्राम स्तर के विकास कार्यक्रम लाइन विभाग द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। योजनाओं में स्थानीय लोगों की भावना होनी चाहिए। ग्राम पंचायत को लाइन विभागों की विभिन्न परियोजनाओं में एक समन्वित भूमिका में शामिल करना अभिसरण के लिए एक मार्ग होगा।

कुछ ग्राम पंचायत के पास अपने भवन नहीं हैं और वे स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य स्थानों के साथ साझा करते हैं। जीपी भी हैं जिनके पास अपनी इमारत है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल और बिजली कनेक्शन के बिना। कई जीपीएस ब्रॉडबैंड और कुछ ई-मित्रा योजना के तहत इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं, लेकिन वे कई मामलों में काम नहीं कर रहे हैं। डेटा प्रविष्टि उद्देश्यों के लिए, पंचायत अधिकारी को खंड विकास कार्यालयों का दौरा करना आवश्यक है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट निपटान, साथ ही समग्र स्वच्छता, अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता है। यह खुशी की बात है कि हाल ही में शुरू किए गए स्वच्छ भारत (ग्रामीण) चरण- में एक प्रभावी और टिकाऊ ठोस और तरल कचरा प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने पर अधिक जोर दिया गया है।

इसी तरह, यह भी संतुष्टिदायक है कि ई-ग्रामराज नामक पंचायत के नियोजन, निगरानी, लेखा और लेखा-परीक्षा समारोह के लिए एकीकृत पोर्टल, जिसे आज लॉन्च किया जा रहा है, में एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल ऐप शामिल है जो ग्राम पंचायत की आसानी से आय और जानकारी प्रदान करता है व्यय।

यह सुझाव दिया जाता है कि पंचायती राज मंत्रालय राज्य में विभिन्न जीपी की तुलनात्मक रैंकिंग की एक प्रणाली तैयार कर सकता है क्योंकि यह जमीनी स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद कर सकता है।

नागरिकों द्वारा लोकतांत्रिक भागीदारी प्रक्रिया में जीपी तीसरे स्तर पर हैं। ग्राम सभा में ग्रामीण समुदाय द्वारा सक्रिय भागीदारी के लिए प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि लोग सीधे गांव के निर्णय और शासन में भाग ले सकें। जैसा कि हम राष्ट्रीय ग्राम पंचायत दिवस मनाते हैं, हमें याद हो सकता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि नीचे से ऊपर की ओर निर्माण किया जाए।

ग्राम पंचायत तेजी से अपने पारंपरिक नागरिक कार्यों से आगे बढ़ रहे हैं और अधिक से अधिक विकासात्मक जिम्मेदारियों को ले रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, अधिक चुनौतियां छोटे गणराज्यों के लिए आगे हैं, लेकिन वे अब ऐसी चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयार हैं।

पुनर्जीवन के कारण पंचायत वव्यवस्था की परंपरा पहले से ही होने के बावजूद भी लगातार ध्यान आकर्षित कर रही है। इसने राजनीति में एक स्थायी स्थिति हासिल कर ली है । यह उच्च राष्ट्रीय नीति का विषय बन गयी है । राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र उद्देश्यहीन होता है, अगर यह सामाजिक और सामाजिक रूप से खुद को आकार नहीं देता है ।

ग्राम समुदाय और ग्रामीणों को सदियों पुरानी रूढ़िवादिता से बाहर निकलने के लिए, सरकार ने हर संभव प्रयास किया कुशल सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया । आजादी से पहले ही , भारतीय गांवों के लोग, रहने की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता के प्रति सचेत हो गए थे। ब्रिटिश

सरकार के तहत कई आयोग स्थापित किए गए थे। उस पर समय इन आयोगों ने थोड़ी सफलता हासिल की, जिसने एक नई सोच प्रदान की। स्वतंत्रता के बाद, उन आयोगों की रिपोर्ट से कुछ सुझावों को अमल में लाने का प्रयास किया गया, जिससे इस वव्यवथा की कमी को महसूस किया गया ।

निष्कर्ष

वास्तविकता में, पंचायती राज का उद्देश्य, सामुदायिक विकास की उन सिफारिशों को एक व्यापक तथा उत्तम रूप से लागू करना था । इस उद्देश्य के लिए, संगठनात्मक और प्रशासनिक संरचना को सही मायनों में स्थापित करने, गांव के लोगों को जागरूक किया जाना था, गंदगी जिसमें वे गिर गए थे और उन्हें तरीकों और साधनों से परिचित कराया जाना था, इस सामाजिक-आर्थिक समस्या से खुद को निकालना की आवश्यक थी ।

इसे व्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया तथा पंचायतों को नए सिरे से तैयार करना और कानूनी ढांचे के तहत उनकी सुरक्षा करना का प्रावधान किया गया। नतीजतन, पंचायतों ने राज्य के निर्देश सिद्धांतों में अपना स्थान पाया और भारतीय संविधान की नीति राजनीतिक लोकतंत्र तभी सार्थक हो सकता है जब आर्थिक और भारतीय जनसंख्या की सामाजिक समस्याओं को एकीकृत तरीके से देखा जाये।

शुरुआत में, जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, तब उसमेपंचायतें नहीं थीं इसमें उल्लेख किया गया है। चूँकि पंचायतों के बारे में गांधी की राय थी की पंचायती वव्यवस्था भारतीय संविधान का अभिन्न अंग होना चाहिए बाद में इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया क्योंकि संविधान के प्रारूप में ग्राम पंचायतों का कोई उल्लेख नहीं था ।

संदर्भ

- केशव, ए. (2019). उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संरचना और प्रतिनिधित्व अवलोकन। इंस्पिरा-जर्नल ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, 5, 31-36।
- कुमार, आर। (2015)। भारत में पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास। प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 3(8), 523-530।
- कुमार, एस। (2013)। पंचायती राज के माध्यम से बहिष्कृत समूहों का समावेश उत्तर प्रदेश में चुनावी लोकतंत्र। नेविगेटिंग अपवर्जन, इंजीनियरिंग समावेशन भारतीय सामाजिक प्रक्रियाएं, 119-134।
- मेलाल्ली, पी। (2017)। भारत का संविधान, वृत्तिक आचारनीति और मानव अधिकार। सेज पब्लिशिंग इंडिया।
- पंचायती राज मंत्रालय। (2019)। पंचायती राज संस्थाओं के बुनियादी आंकड़े, भारत सरकार।
- मिश्रा, एस.एन. (2018)। पंचायती राज। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, 357.

- राजगोपालन, एस. (2018). पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन 25.
- स्नाइडर, एच। (2019)। एक शोध पद्धति के रूप में साहित्य समीक्षा एक सिंहावलोकन और दिशानिर्देश। जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च, 104, 333-339।